राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परिषद् जोधपुर

(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

89
26/4/22

क्रमांक : जिपजो/पंचायत/2022-23/ 1134 दिनांक : 21/4/22

विकास अधिकारी
पंचायत समिति लूणी
जिला जोधपुर।

विषयः— राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के संशोधित नियम 157(1) के सम्बन्ध में मार्गदर्शन बाबत्।
प्रसंगः— आपके पत्रांक 1565 दिनांक 02.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के संशोधित नियम 157(1) के अन्तर्गत बिन्दुवार मार्गदर्शन चाहा था, जो श्रीमान उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव,(प्रथम) जयपुर के पत्रांक 291 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जो संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद जोधपुर

Scanned with CamScanner

22

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक:एफ.139 (3)मार्गदर्शन / विधि / परां / 2022 / 291 जयपुर,दिनांक– 23/3/22

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर।

विषयः–राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) में के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

प्रसंगः–आपका कार्यालय पत्रांक 10875 दिनांक 23.12.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के कम मे आप द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा था जो निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	बिन्दु जिस पर मार्गदर्शन चाहा गया है	विभाग द्वारा प्रेषित मार्गदर्शन
1.	नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितिकरण(1) जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है। में 'व्यक्ति' शब्द को इस नियम के सन्दर्भ में परिभाषित / विवेचित करने की कृपा करावें।	व्यक्ति शब्द पंचायती राज अधिनियम, 1994 में नहीं है उक्त शब्द की परिभाषा Gen. Clause Act के अनुसार व्यक्ति शब्द की परिभाषा Section 42 के अनुसारः– "Pesron" Shall include any company or association or body of individuals, whither incorporated or not;
2.	किसी "व्यक्ति" के आबादी भूमि में पुश्तेनी कब्जाशुद्धा मकान एक से अधिक होने पर उस व्यक्ति / उस परिवार के अन्य सदस्यों के नाम एक से अधिक पट्टे / विक्रय विलेख जारी किये जा सकते है अथवा नहीं।	संबंधित प्रावधानों में ऐसे पट्टे / विक्रय विलेख जारी किये जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

Scanned with CamScanner

कार्यालय पंचायत समिति लूणी

मुख्यालय पाल रोड ,जोधपुर

कमांकः– 3514 दिनांकः– 22/1/2021

प्रेषितः–

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव(विधि)
पंचायतीराज विभाग शासन सचिवालय जयपुर

विषयः– राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के संशोधित नियम 157(1) के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 813 दिनांक 09.07.2020 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के संशोधित नियम 157(1), जो अधिसूचना 11.02.2013 (राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित दिनांक 19.02.2013) के सन्दर्भ में निवेदन है कि अग्रलिखित बिन्दुओं के संबंध में बिन्दुवार स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करवाने का श्रम करावे।

1. नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितिकरण (1) जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है में **''व्यक्ति''** शब्द को इस नियम के सन्दर्भ में परिभाषित/विवेचित करने की कृपा करावें ।
2. किसी **''व्यक्ति''** के आबादी भूमि में पुश्तेनी कब्जासुदा मकान एक से अधिक होने पर उस व्यक्ति/उस परिवार के अन्य सदस्यों के नाम एक से अधिक पट्टे/विकय विलेख जारी किये जा सकते है अथवा नहीं।

(तेजपाल राव) 22/01
विकास अधिकारी
पंचायत समिति लूणी

Scanned with CamScanner